FORM NO. 123
(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

Court of District collector ....at- Phalodi

सत्यनारायण बनाम पूनमचन्द वगैरा

मुकदमा संख्याः– 03/2025

अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
22/7/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी गैर हाजिर। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यानुसार वर्तमान उपखण्ड अधिकारी श्री पूनमचंद, उपखण्ड अधिकारी लोहावट के विरूद्व पक्षपात अप्रार्थी सौरभ विश्नोई के पक्ष में गलत रिपोर्ट मंगवाने का प्रयास किया जाना एवं स्वयं के क्षेत्राधिकार व विधि से परे जाकर अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में निर्णय करने का तथ्य के साथ उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया था। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर लोहावट का स्थानान्तरण अन्यत्र उपखण्ड हो गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी लोहावट के विरूद्व पेश किया था। उक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्यहीन हो जाता है। वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को आदेश दिया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व वाद संख्या 53/2024 बअनवान सौरभ विश्नोई बनाम सत्यनारायण वगैरह में उभयपक्षकारान को सूचना दी जाकर विधिवत एवं न्यायिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास दिनांक ....22/7.......... को सुनाया गया। [signature] जिला कलक्टर फलोदी	